न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/168 राजस्व वाद

दिनांक– 03.11.2025

अनवान

1. धना पिता गोपाल जी जाति रेबारी आयु 52 वर्ष, निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

.... वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. राजमल पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. मांगीलाल पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
4. भूली बाई बेवा नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
5. कमला पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
6. चांदी पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
7. इन्द्री पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
8. लीला पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
9. अणछी पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
10. भूरा पिता प्रताप जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा।

.... प्रतिवादीगण

वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितः– श्री सुभाष गाडरी, अधिवक्ता (वादीगण)।

श्री गणपत कोठारी, (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत् 09)

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

–: आदेश :–

दिनांकः–03.11.2025

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत् 09 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत् 09 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी नबंर 538 के संबंध में घोषणा का अनुतोष चाहा गया तथा उक्त अनुतोष वादी ने अपने पत्र दिनांक 02.11.1994 को निष्पादित इकरारनामा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अपंजीकृत इकरारनामा के आधार

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

पर अनुतोष देने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है इकरार के आधार पर अनुतोष देने हेतु सिविल न्यायालय द्वारा ही संविदा निष्पादन का प्रस्तुत करने पर ही अनुतोष प्राप्त हो सकता है। वादी का वाद आप न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से वाद विधी द्वारा वर्जित है।

अतः निवेदन है कि वादी का वाद राजस्व न्यायालय में सुनवाई हेतु वर्जित होने से वाद खारिज फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 व 02 अस्वीकार है। राजस्व रेकर्ड में अंकित जमीन का वाद सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होकर काबिल खारीज है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया जाकर निवेदन किया कि वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अंकित जमीन की घोषणा करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत 07 नियम 11 सी पी सी के तहत नहीं किया जाकर, दस्तावेजी साक्ष्य के पश्चात् किया जाए। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के कथनों का विरोध करते हुए कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व रेकर्ड में अंकित जमीन की घोषणा का न होकर अपंजीकृत इकरारनामें से संबंधित है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इसलिए वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष के परपस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं जमाबंदी का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तथा वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात् को अंपजीकृत इकरारनामें के आधार पर घोषणा कराना चाहता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना निम्नलिखित दशाओं में होता है:-

1. जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है।
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने में न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

समग्र दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार होकर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्व ग्राम शिशवी की ढाणी, पटवार हल्का शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित आराजी संख्या 538 रकबा 3–04 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 3–04

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

बीघा के संबंध में विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/ दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,**R.A.S.**

प्रकरण संख्या:– **2023/168** राजस्व वाद

अनवान

1. धना पिता गोपाल जी जाति रेबारी आयु 52 वर्ष, निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

.... वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. राजमल पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. मांगीलाल पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
4. मूली बाई बेवा नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
5. कमला पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
6. चांदी पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
7. इन्द्री पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
8. लीला पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
9. अणछी पिता नथा जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
10. मूरा पिता प्रताप जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी शिशवी की ढाणी, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा हाल तहसील देलवाडा।

.... प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

<u>वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीया मय अधिवक्ता श्री सुभाष गाडरी एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:–

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्व ग्राम शिशवी की ढाणी, पटवार हल्का शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित आराजी संख्या 538 रकबा 3–04 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 3–04 बीघा के संबंध में विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

नीज.....–...... मुबलिज –.....–...... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर –..... –....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.11.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिलान		मिलान	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द